23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3/2017 भूराराम v/s निर्मल कुमार	
[illegible]6/19	वकील अपीलार्थी उपस्थित। समय चाहा अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 10/7/19 को पेश हो। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
10/7/19	वकील अपीलार्थी उपस्थित समय चाहा। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 22/7/19 को पेश हो। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
22/7/19	आज पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा शोक, प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 7/8/19 को पेश हो। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
7/8/19	वकील अपीलार्थी व अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगवाई गई। अंतिम आवाज 5.00 P.M पर लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः यह अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः.........../2016 3/2017

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

1. **भूराराम** पुत्र नरसाराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कासरड़ा, तहसील–खण्डेला, जिला सीकर
2. **देवेन्द्र शर्मा** पुत्र श्री चतुर्थीलाल शर्मा, जाति–ब्राहम्ण
3. **छीतरमल** पुत्र चुन्नाराम, जाति–बलाई
4. **फूलचन्द** पुत्र श्री कजोड़मल, जाति–बलाई
5. **शंकरलाल** पुत्र भूराराम, जाति–बलाई

निवासीगण–कासरडा, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)

..........**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. निर्मल कुमार
2. प्रताप सिंह } पुत्रान श्री राधेश्याम
3. प्रदीप कुमार
4. सुन्दर देवी पत्नी राधेश्याम

समस्त जाति–जाट, निवासीगण मोडीवाली ढ़ाणी, तन श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)

5. तहसीलदार श्रीमाधोपुर, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर

................**प्रत्यर्थीगण**

द्वितीय अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.10.2016 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर अन्तर्गत अपील संख्या–195/2015 उनवानी

भूराराम बनाम निर्मल कुमार व अन्य जिसके द्वारा अपील अपीलांट खारिज की गयी, के विरूद्ध द्वितीय अपील।

मान्यवर,

अपीलार्थीगण की ओर से द्वितीय अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

यह कि अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष एक अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या–526 दिनांक–24.09.2012 ग्राम कांसरडा, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत प्रस्तुत की गयी थी, जो उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक–03.10.2016 से खारिज फरमा दी गयी, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

(1) यह कि आदेश दिनांक–03.10.2016 विधिक एवं कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि रेस्पोडेन्ट्स को कृषि भूमि जिसका की उल्लेख चुनौती दिये गये नामान्तकरण संख्या–526 दिनांक–24.09.2012 में दर्ज है, का जो आवंटन किया गया, वह नियम विरूद्ध जाकर किया गया। आवंटन के सम्बंध में अधिनियम के जिन प्रावधानों की